फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

राजेन्द्र बनाम मांगेराम

किस्म मुकदमा– 225 आरटीए **नम्बर...11.....2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.02.20	अभिभाषक अपीलांट श्री हरीश व्यास उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्ध हो। पत्रावली पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम हाडला रावलोतान तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 125, 126 तादादी 9.44 हेक्टर भूमि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से खरीदशुदा भूमि है। इस प्रकार अपीलांट वादग्रस्त भूमि के बोनाफाईड परचेजर है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के बेचान के उपरान्त मिलीभगत करते हुए अपीलांट को सूचित किये बिना वादग्रस्त भमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश अदालत मातहत से प्राप्त कर लिये गये है। उक्त आदेश के कारण अपीलांट जोकि वादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता है, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। चूंकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का उक्त कृत्य विधि के प्रावधानों के विपरीत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में यदि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया गया या उसके कब्जे काश्त में दखंलदाजी की गई तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।	

वादी एडवोकेट श्री .....प्रतिवादी एडवोकेट श्री .....

हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि ग्राम हाड़ला रावलोतान के खसरा नम्बर 125 में 0.5000 हेक्टर व खसरा नम्बर 126 में 9.400 हेक्टर कुल तादादी 9.4900 हेक्टर भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न बैयनामा दिनांक 12–09–2019 के अनुसार यह साबित है कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि का बोनाफाईड परचेजर है। ऐसी स्थिति में अपीलांट जोकि वादग्रस्त भूमि का सद्भावी क्रेता है, को पक्षकार बनाये बिना उसी भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा मिली भगत करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा विधि विरूद्व तरीके से प्राप्त किया जाना प्रथम दृष्टया साबित होता है। चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 13–02–2020 नियत है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की इसी स्तर पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–01–2020 निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष जैरकार प्रकरण उनवान मांगेराम बनाम महेन्द्रसिंह में अपीलांट को पक्षकार संयोजित करते हुए व सभी पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर पद्रान करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(राम[illegible] सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.26 16:31:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: